मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 25 जुलाई, 2017 (श्रावण 3, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एवं 16) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 148 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 149 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री बलवीर सिंह डंडौतिया, सदस्य की विभागों द्वारा सांसद व विधायकों के पत्रों का जवाब नही दिये जाने,

(2) श्री कमलेश शाह, सदस्य की नागदा स्थित महाविद्यालय में एम.ए , एम.एस.सी , की कक्षाएं प्रारंभ न की जाने,

(3) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की भोपाल जिले के कोलार रोड स्थित दशहरा मैदान में सब्जी व्यापारियों द्वारा रास्ते पर दुकान लगाये जाने,

(4) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की जावरा विधानसभा क्षेत्र की तहसील पिपलौदा के ग्राम सुखेड़ा में पुलिया निर्माण करने,

(5) श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य की रीवा के विकासखंड जवा में विद्युत वितरण का कार्य अधिकांशत: बाधित होने,

(6) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले की तहसील हीरापुर के राज परिवार के सदस्यों को न्याय न मिलने,

(7) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कृषि उपज मंडी, राजेन्द्र ग्राम तहसील में खोले जाने,

(8) श्री कमल मर्सकोले, सदस्य की प्रदेश में कृषि उपज मंडी अधिनियम में निर्वाचन संबंधी संशोधन करने,

(9) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य की अटेर विधानसभा क्षेत्र में असामाजिक तत्वों को पुलिस संरक्षण होने तथा

(10) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा झारड़ा थाना अंतर्गत चोरों का आतंक होने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

3. शून्यकाल में उल्लेख

(1) सरदार सरोवर बांध में अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगौन जिले के गांव डूब क्षेत्र में आना

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री बाला बच्चन, सदस्य ने उल्लेख किया कि – सरदार सरोवर बांध में अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगौन जिले के 191 गाँव और एक शहर के 23 हजार परिवार डूब क्षेत्र में आ रहे हैं. इस पर स्थगन प्रस्ताव या नियम-139 के अंतर्गत चर्चा कराने की मांग की गई थी, लेकिन आज तक यह विषय चर्चा में नहीं आया. कृपया किसी भी रूप में तत्काल इस पर चर्चा कराई जाए.

अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि इस विषय पर विचार किया जायेगा.

4. बधाई

भारत के नवनिर्वाचित महामहिम राष्ट्रपति को बधाई दी जाना

श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य ने उल्लेख किया कि - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन से केवल यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज भारत के महामहिम राष्ट्रपति 12.15 बजे शपथ लेंगे, इसलिए हम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, श्री अमित शाह तथा एनडीए के सारे सदस्यों को मेजें थपथपाकर बधाई दें. आज भारत के संविधान में एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है. श्री अंबेडकर जी की भावनाओं का सम्मान किया गया है. आज दलित नेता के रूप में महामहिम राष्ट्रपति इस पद को सुशोभित करेंगे तथा देश का मार्ग प्रशस्त करेंगे.

5. शून्यकाल में उल्लेख (क्रमश:)

(2) उड़द और मसूर दाल के समर्थन मूल्य केन्द्र न खोले जाना

श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य ने उल्लेख किया कि – 20 जुलाई, 2017 को माननीय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने घोषणा की थी कि उड़द और मसूर के समर्थन मूल्य के केन्द्र नरसिंहगढ़ और जहां जहां पर नहीं खोले गये हैं, वहां पर 31 जुलाई, 2017 तक खरीदी करने हेतु खोले जायेंगे. लेकिन आज 5 दिन के बाद नहीं खुले हैं इससे किसान परेशान हो रहे हैं.

श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने सदन को सूचित किया कि जिन माननीय सदस्यों ने जानकारी दी है उनके जिलों के कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि किसानों द्वारा दाल बुआई के रजिस्टर्ड रकबे की जानकारी लेकर तत्काल व्यवस्था करके मूंग व उड़द खरीदी की व्यवस्था करे.

(3) छतरपुर जिला और राजनगर क्षेत्र में जुआं बंद कराया जाना

कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि - विधान सभा क्षेत्र राजनगर (छतरपुर) में जुएं का व्यापक खेल चल रहा है, गृह (पुलिस) विभाग कुछ नहीं कर रहा है. लोग आत्महत्या तक करने पर मजबूर हैं, सरकार और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जनता में रोष है और अव्यवस्था फैल रही है इसलिए इसे रूकवाया जाय.

(4) प्याज खरीदी में भ्रष्टाचार किया जाना

श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य ने उल्लेख किया कि - उज्जैन जिले में 1,35,965 मीट्रिक टन प्याज खरीदी गई जिसमें से 72,844 मीट्रिक टन प्याज अकेले तराना में खरीदी गई. वहां के जिला पंचायत अध्यक्ष ने एक सप्ताह पहले ई.ओ.डब्ल्यू. में प्याज के रि-साईकिल की नामजद शिकायत दर्ज कराई तब वहां पर तीन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कई लोगों को आरोपी बनाया गया. इसमें करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार किया गया है.

(5) नीमच मंडी में पोस्ता दाना नहीं खरीदा जाना

श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य ने उल्लेख किया कि - नीमच मंडी में अफीम का पोस्ता दाना नहीं खरीदा जा रहा है. माननीय वित्तमंत्री, माननीय कृषि मंत्री से निवेदन है कि किसानों में आक्रोश है. वहां पर खरीदने की व्यवस्था की जाए.

(6) कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के 60 हजार परिवार डूब से प्रभावित होना

श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि - विधानसभा क्षेत्र कुक्षी के लगभग 60 हजार परिवार, 90 हजार पशु डूब से प्रभावित होने वाले हैं. किसी न किसी रूप में इस पर चर्चा करवाई जाए.

(7) तत्कालीन दोषी एस.ई. और ए.ई. को ऊर्जा विभाग द्वारा निलंबित नहीं किया जाना

श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य ने उल्लेख किया कि - हमारे यहां तत्कालीन एस.ई. और ए.ई. के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है जिसमें धारा 467, 468 में आजीवन कारावास का प्रावधान है. लेकिन ऊर्जा विभाग ने अभी तक उनको निलंबित नहीं किया बल्कि पदोन्नति कर दी है. उनके विरुद्ध मंत्री महोदय कार्यवाही की जाना सुनिश्चत करें.

(8) बांछड़ा समाज की एक महिला की पुलिस द्वारा पिटाई की जांच की जाना

श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य ने उल्लेख किया कि – नीमच जिले के पुलिस थाना जीरन के अंतर्गत चरदू ग्राम के पास बांछड़ा समाज की एक महिला के ऊपर पुलिस द्वारा विगत दिनों हमला किया गया और उसको पीटा गया. उसके गर्भ में 7 महीने का बच्चा था. उसे पुलिस थाने में ले जाने के बाद वह मृत हो गया. वह महिला अभी एम.वाय. हॉस्पिटल, इंदौर में भर्ती है. इस प्रकरण की जांच कराई जाए.

(9) राजगढ़ जिले की ब्यावरा कृषि उपज मंडी में मसूर खरीदी केन्द्र खोला जाना

श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य ने उल्लेख किया कि – राजगढ़ जिले की ब्यावरा कृषि उपज मंडी सबसे बड़ी 'ए क्लास' मंडी है क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में वहां मसूर उत्पादन होता है. मसूर खरीदी केन्द्र ब्यावरा में भी प्रारंभ किया जाए. श्री गौरीशंकर चतुर्भुन बिसेन, किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री ने माननीय सदस्य को आश्वस्त किया कि अगले वर्ष केन्द्र खोल देंगे.

(10) किसानों की दलहन की राशि का भुगतान न होना

श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य ने उल्लेख किया कि – उड़द, मूंग की खरीदी 20 तारीख से चालू हुई है लेकिन बहुत अव्यवस्था फैली हुई है, किसानों को मंडी के अंदर आने को नहीं मिल पा रहा है, बारदाने और परिवहन की व्यवस्था नहीं है. अरहर और उड़द का पैसा अभी तक किसानों को नहीं मिला है. उनको अभी भुगतान नहीं हो रहा. शासन के जो चेक मिले हैं, वे भी बाउंस हो रहे हैं. मैं शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं.

(11) नीलगायों द्वारा फसलों का नुकसान किया जाना

श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य ने उल्लेख किया कि – मेरे क्षेत्र में 80 प्रतिशत फसलें रोजड़ों (नीलगाय) और आवारा पशुओं के खाने के कारण नष्ट हे गई है. किसान पलायन कर रहे हैं. मेरे यहां लगभग 20 हजार आवारा पशु हैं इनके लिये अभ्यारण्य बनाए जाएं. रोजड़ों को पकड़ने की व्यवस्था करवाई जाए. अच्छा बीज और खाद आदि सरकार ने दिया लेकिन अगर यह व्यवस्था नहीं की गई तो किसान का भला नहीं हो पाएगा.

(12) सागर जिले के अंतर्गत देवरी और केसरी विकासखण्ड में खरीफ फसल का बीमा न मिलना

श्री हर्ष यादव, सदस्य ने उल्लेख किया कि - सागर जिले के अंतर्गत देवरी और केसरी विकासखण्ड में खरीफ फसल का जो बीमा वर्ष 2015-16 का है, उसका बंटन न होने से किसानों में बहुत नाराजगी है. कृषि मंत्री से निवेदन है कि वह किसानों को मिले. जो उद्यानिकी का बीमा प्रीमियम राशि से भी कम वितरित हुआ है. इसमें सुधार न होने से किसानों में बहुत नाराजगी है.

6. अध्यक्षीय व्यस्था

प्रश्नों के उत्तरों की जानकारी समय पर दी जाना

श्री आरिफ अकील, सदस्य ने उल्लेख किया कि – मैंने पूर्व सत्रों में भी यह मामला उठाया था, जिस पर आपने व्यवस्था दी है. लेकिन सरकार ने एक परंपरा बना ली है कि अनेक प्रश्नों का जवाब यही आता है कि – "जानकारी एकत्रित की जा रही है". मामला खत्म करके जानकारी नहीं दी जाती है. गत सत्र के अनेक प्रश्नों की आज तक वह जानकारी नहीं मिल पाई है.

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि यह विषय अवश्य देख लें क्योंकि बार-बार इसी तरह की बात आती है, उस पर कोई निराकरण नहीं होता है.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया कि अगले सत्र के पहले दिन जानकारी रखी जाती है. फिर भी इसे दिखवा लेंगे. यदि जानकारी नहीं आएगी तो प्रश्न एवं संदर्भ समिति के पास भेजेंगे, किन्तु सामान्यतः प्रक्रिया यही है कि पहले उत्तर दे देते हैं. मैं उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करवा लेता हूं. माननीय मंत्रीगण से भी मेरा अनुरोध है कि जिनके विभागों के उत्तर में यह लिखा जाता है कि "जानकारी एकत्रित की जा रही है", अगले सत्र के पहले दिन उसको प्रश्नों के पूर्ण उत्तर के रूप में रखा जाना चाहिए. इसका आप सभी ध्यान रखेंगे.

7. शून्यकाल में उल्लेख (क्रमश:)

(13) नरयावली विधानसभा क्षेत्र के कर्रापुर की उप मंडी को मंडी घोषित की जाना

इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने उल्लेख किया कि – माननीय कृषि मंत्री हमारे विधान सभा क्षेत्र के कर्रापुर में गये थे. किसान लगातार मांग कर रहे हैं. वहां पर उप मंडी है. वे मंडी की मांग कर रहे हैं. सभी अर्हता पूरी करते हैं. सिर्फ उसमें साढ़े बारह एकड़ जमीन है, ढ़ाई एकड़ जमीन क्रय करके माननीय मंत्री उसको मंडी घोषित कर दें. श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने माननीय सदस्य को आश्वस्त किया कि वे उन्हें इस संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत करा देंगे.

(14) बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत पटोरी की शाला में सांप द्वारा दो बच्चों को काटना

कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि – उनके विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत पटोरी में एक शाला की पुरानी बिल्डिंग में सांप ने दो बच्चों को काट लिया है, किस्मत से वे बच गये हैं. माननीय मंत्री महोदय वह पुरानी खपरैल वाली बिल्डिंग के स्थान पर नई बिल्डिंग बनवा दें क्योंकि यह बच्चों के भविष्य का सवाल है.

(15) विधानसभा क्षेत्र परासिया के थाना चांदामेटा में एक समुदाय के लोगों पर थानेदार द्वारा लाठीचार्ज कराया जाना

श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य ने उल्लेख किया कि – पिछले महीने मेरे विधान सभा क्षेत्र में थाना चांदामेटा में एक समुदाय के प्रति एक घटना घटी थी और उस समुदाय ने थाना घेरकर अपनी बात रखने की कोशिश की थी. वहां थानेदार ने जबरदस्ती लाठीचार्ज किया और वहां पर फायरिंग की गई. आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसकी जांच करके निष्कर्ष निकाला जाए.

(16) सही विद्युत बिल का प्रदाय किया जाना

श्री अशोक रोहाणी, सदस्य ने उल्लेख किया कि – माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र में विद्युत खपत में त्रुटिपूर्ण देयक, औसत देयक के नाम से आते हैं, ऐसे अत्यधिक राशि के देयक भरने में जनता को बहुत तकलीफ होती है. वहां मीटर वाचकों की संख्या बढ़ाएं ताकि सही बिल आएं.

(17) प्रदेश की मंडियों में मंडी टैक्स के नाम पर व्यापारियों से अतिरिक्त शुल्क वसूल किया जाना

श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि – माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि जीएसटी के माध्यम से One Nation One Tax का प्रावधान पूरे देश में होगा लेकिन मध्यप्रदेश की पूरी मंडियों में मंडी टैक्स के नाम पर व्यापारियों से अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है. माननीय कृषि मंत्री जी पूरे प्रदेश में मंडी टैक्स बंद किए जाने की वक्तव्य के माध्यम से घोषणा कर दें.

(18) विधानसभा क्षेत्र दिमनी के अविद्युतीकृत गांवों के लोगों को बिजली बिल दिए जाना

श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य ने उल्लेख किया कि – उनके विधान सभा क्षेत्र के जिन गांवों में डीपी नहीं लगायी गई है या जहां तार नहीं खींचे गए हैं वहां के लोगों का 40 हजार रुपये तक के देयक दिए जा रहे हैं. जबकि वहां 25 साल से बिजली नहीं है. मेरे सामने इसकी जांच करा लें. अगर उनके यहां बिजली है तो बिल भेजा जाये अन्यथा उनके बिल माफ किए जाएं. गढ़ी गांव में अधिकारियों ने कहा था कि वहां के लोग कनेक्शन करा लें, हम बिजली दे देंगे. वहां ड़ीपी रखवाने की व्यवस्था कराई जाए.

(19) नए शिक्षा भवनों का घटिया निर्माण होना

श्री के पी सिंह, सदस्य ने उल्लेख किया कि - मेरा विषय लोक निर्माण और स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है. पीआईयू लोक निर्माण विभाग का एक यूनिट है. जो सर्व शिक्षा अभियान में भवनों का निर्माण कर शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करता है. पिछले कई सालों से भवन निर्मित को शिक्षा विभाग के प्राचार्य या अधिकारी अपने अधिपत्य में नहीं ले रहे हैं क्योंकि भवनों की क्वालिटी खराब है. बार-बार लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखते हैं इनको ठीक करा दें. लेकिन अधिकारी उन भवनों को बनाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं. भवनों को दुरुस्त नहीं कराने से उनका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है. इस विषय की जिलेवार समीक्षा कर उचित कार्यवाही की जाए.

श्री रामपाल सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने अवगत कराया कि माननीय सदस्य यदि कोई विशिष्ट माले बताएंगे तो अधिकारियों से उनकी उपस्थिति में जांच करवा लेंगे.

8. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) कुंवर विजय शाह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन का 13 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब-पत्रक वित्तीय वर्ष 2015-16 पटल पर रखा.

(2) श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा विभाग की निम्न अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक 3366/एफ-5-6/2016/तेरह, दिनांक 27 मई, 2017,

(ख) क्रमांक 3367/एफ-5-6/2016/तेरह, दिनांक 27 मई, 2017, तथा

(ग) क्रमांक एफ 3-25-2017-तेरह, दिनांक 09 जून, 2017,

पटल पर रखीं.

9. माननीय सदस्यों के उपयोगार्थ विभागीय जानकारी का वितरण

श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने राजस्व पुस्तक परिपत्र में किये गये परिवर्तन का तुलनात्मक विवरण एवं मजरे-टोलों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन हेतु मापदण्ड संबंधी प्रपत्र माननीय सदस्यों को खानेदार अलमारी के माध्यम से वितरित किये जाने का उल्लेख किया.

10. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 25 जुलाई, 2017 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 12 सन् 2017)	1 घण्टा
2.	मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 13 सन् 2017)	30 मिनिट
3.	मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2017 (क्रमांक 14 सन् 2017)	30 मिनिट
4.	मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2017	15 मिनिट
5.	मध्यप्रदेश करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2017	30 मिनिट
6.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2017	30 मिनिट
7.	वर्ष 2017-2018 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	2 घण्टे

श्री शरद जैन, राज्य मंत्री, संसदीय कार्य ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

11. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री मधु भगत, रामनिवास रावत, सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्यगण, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने बालाघाट जिले के ग्राम खैरी स्थित पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेन्द्र सिंह, गृह मंत्री एवं श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया कि - आज अत्यंत इस गंभीर विषय पर सभी सदस्यों ने गंभीरता बरती, शासन ने भी अत्यंत गंभीरता से उत्तर दिया और माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो सुझाव दिये उनको भी उन्होंने लेने का आश्वासन दिया. मैं सोचता हूं कि यह बहुत अच्छी परम्परा डाली जा रही है, भविष्य में भी यदि जनहित के प्रश्नों पर इसी प्रकार बातचीत होती रहेगी तो हमारे प्रदेश की अनेक समस्यायें हल हो सकेगी.

(2) सर्वश्री रामलाल रौतेल, फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्यगण ने अनूपपुर जिले में खनिज आधारित उद्योगों को अनुमति न दिये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए

12. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का तैंतीसवां, चौंतीसवां, पैंतीसवां एवं छत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(2) श्री के.डी. देशमुख, सभापति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(3) श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति ने कृषि विकास समिति का तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

13. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(2) श्री वीरसिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(3) डॉ. कैलाश जाटव (जिला-नरसिंहपुर)
(4) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(5) श्री रजनीश सिंह (जिला-सिवनी)
(6) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(7) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(8) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(9) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(10) कुंवर विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)
(11) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़))
(12) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(13) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(14) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(15) श्री जितेन्द्र गेहलोत (जिला-रतलाम)
(16) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(17) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(18) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(19) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(20) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(21) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर (जिला-खण्डवा)
(22) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(23) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(24) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(25) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(26) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(27) श्री दिनेश राय 'मुनमुन' (जिला-सिवनी)
(28) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(29) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(30) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(31) श्री गिरीश भंडारी (जिला-राजगढ़)
(32) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
(33) श्रीमती शीला त्यागी (जिला-रीवा)
(34) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(35) श्रीमती सरस्वती सिंह (जिला-सिंगरौली)

(36) श्री कैलाश चावला (जिला-नीमच)
(37) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मंदसौर)
(38) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी) (जिला-शहडोल)
(39) श्री रामलाल रौतेल (जिला-अनूपपुर)
(40) श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जिला-मुरैना)
(41) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(42) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)
(43) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(44) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(45) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(46) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(47) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(48) श्रीमती उमादेवी खटीक (जिला-दमोह)
(49) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक (जिला-छतरपुर)
(50) श्री अनिल जैन (जिला-टीकमगढ़)
(51) श्री रणजीत सिंह गुणवान (जिला-सीहोर)
(52) श्री चेतराम मानेकर (जिला-बैतूल)
(53) श्री दिलीपसिंह परिहार (जिला-नीमच)
(54) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(55) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(56) श्री इंदर सिंह परमार (जिला-शाजापुर)

14. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री रामपाल सिंह, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 23 सन् 2017) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

15. वर्ष 2017-2018 की प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान (पूर्वानुबद्ध)

वर्ष 2017-2018 की प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर दिनांक 21 एवं 24 जुलाई, 2017 को प्रारम्भ चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(14) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(15) सुश्री हिना लिखीराम कावरे
(16) श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना

(अपराह्न 1.29 से 3.12 बजे तक अन्तराल)
उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(17) श्री बाला बच्चन
(18) श्री आर.डी. प्रजापति

अध्यक्ष महोदय(डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए

(18) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

16. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2017 (क्रमांक 20 सन् 2017) पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2017 (क्रमांक 20 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

अपराह्न 4.37 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 26 जुलाई, 2017 (4 श्रावण, शक सम्वत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 25 जुलाई, 2017